न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी - 3157/2018/दमोह/भू.रा.

1. पवन कुमार पाठक,
2. आशुतोष पाठक, पुत्रगण स्व. श्री मनोहर राव पाठक, निवासी- साकिन ग्राम बाँसाकलाँ तहसील पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरूद्ध

आम जनता ग्राम बाँसाकलाँ

--अनावेदक

श्री विनोद भार्गव एडवो. द्वारा आज दि. 22-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 22-5-18

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
22-05-2018

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, दमोह म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 35अ/05 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश पारित दिनांक 08/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम बाँसाकला तहसील पथरिया जिला दमोह में स्थित भूमि बंदोबस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 1235 रकबा 3.362 हे. था उक्त सर्वे क्रमांक 1235 के कुल रकबा 3.362 हे. में से आवेदकगणो में 1.612 हे. एवं 1.750 हे. पृथक-पृथक क्रय की थी। बंदोबस्त दौरान सर्वे क्रमांक 1235 रकबा 3.362 हे. से बने नवीन सर्वे क्रमांक 1221/1 रकबा 1.610 हे. एवं 1221/2 रकबा 1.660 हे. बना। उक्त बंदोबस्त त्रुटि दौरान उक्त सर्वे क्रमांक को कुल रकबा में से 0.092 हे. कम कर दिया गया।

2. यहकि, आवेदकगण ने इस बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु तहसीलदार महोदय, पथरिया के समक्ष आवेदन किया जिस पर प्रकरण क्रमांक 67अ/5/15-16 दर्ज किया गया एवं आदेश दिनांक 12/05/2016 द्वारा इश्तहार जारी किये जाने एवं राजस्व

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 315/2018/दतिया/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया आवेदक अधिवक्ता के अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है वह उन्हें सुने बिना तैयार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में त्रुटि की है। । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन को यह लिखकर निरस्त किया है कि आवेदक को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर स्पष्ट प्रतिवेदन लिए जाने का आवेदन प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया गया जबकि उन्हें आवेदक अधिवक्ता के तर्कों को देखते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करना था। चूंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है अत: निगरानी अग्राह्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर पुर्नविचार कर बोलता हुआ आदेश पारित करें । प्रशा0 सदस्य	